कौन हैं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और उन पर सवाल उठाने वाले 4 जज

नई दिल्ली। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिस की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये चारों जज सुप्रीम कोर्ट में वरीयता के मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा से नीचे दूसरे से पांचवें नंबर पर हैं। कई ऐतिहासिक फैसले देने वाले चीफजस्टिस दीपक मिश्रा ने पिछले साल ही यह पद संभाला है। वह 2 अक्टूबर 2018 तक इस पद पर बने रहेंगे। आइए आपको बताते हैं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से जुड़ी अहम बातें और कौन हैं उनपर सवाल उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज...

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा

जस्टिस दीपक मिश्रा का जन्म 3 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 14 फरवरी 1977 में उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। 1996 में उड़ीसा हाई कोर्ट का अडिशनल जज बनाया गया और बाद में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट उनका ट्रांसफर किया गया, 2009 के दिसंबर में पटना हाई कोर्ट का चीफजस्टिस बनाया गया। फिर 24 मई 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर चीफजस्टिस उनका ट्रांसफर हुआ। 10 अक्टूबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ही सुनाई थी। याकूब के मामले में आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में रात भर सुनवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट में रात के वक्त सुनवाई करने वाली बेंच की अगुवाई जस्टिस दीपक मिश्रा ने ही की थी और दोनों पक्षों की दलील के बाद याकूब की अर्जी खारिज की गई थी और फिर तड़के उसे फांसी दी गई थी।

ये हैं जस्टिस दीपक मिश्रा के बड़े फैसले

3 मई 2017 : जस्टिस दीपक मिश्रा ने आपराधिक मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधान के संवैधानिक वैधता को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि विचार अभिव्यक्ति का अधिकार असीमित नहीं है।

30 नवंबर 2016 : अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाए और इस दौरान सिनेमा हॉल में मौजूद तमाम लोग खड़े होंगे। राष्ट्रगान के सम्मान में तमाम लोगों को खड़ा होना होगा।

निर्भया गैंग रेप केस में तीनों दोषियों की फांसी की सजा

इसी साल 5 मई को बहुचर्चित निर्भया गैंग रेप केस में तीनों दोषियों की फांसी की सजा को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने बरकरार रखा था। मिश्रा ने एक फैसले में दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह एफआईआर दर्ज करने के 24 घंटे बाद उसे वेबसाइट पर अपलोड करे। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में स्पेशल बेंच बनाई गई है जो अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा

- देश के 45 वें चीफ जस्टिस
- 3 अक्टूबर 1953 को जन्म
- 1977 उड़ीसा हाईकोर्ट में वकालत
- 1996-97, उड़ीसा, एमपी हाईकोर्ट में जज
- 2009-2010 पटना, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
- 2011 सुप्रीम कोर्ट के जज
- 2017 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस

2 अक्टूबर 2018 तक कार्यकाल

- सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान का फैसला
- याकूब मेमन को फांसी की सजा
- निर्भया केस में दोषियों को फांसी

1. जस्टिस चेलामेश्वर

23 जून 1953 को आंध्र प्रदेश में जन्मे जस्टिस चेलामेश्वर 1997 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने थे। उन्हें 2007 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। इसके बाद साल 2010 में वह केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 20 अक्टूबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया।

2. जस्टिस रंजन गोगोई

18 नवंबर 1954 को जन्मे जस्टिस गोगोई ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही अधिकांश प्रैक्टिस की। साल 2001 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त किया गया। इसके बाद जस्टिस गोगोई का ट्रांसफर साल 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया। 23 अप्रैल 2012 को जस्टिस गोगोई को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया।

3. जस्टिस मदन भीमराव लोकुर

साल 1974 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक करने वाले जस्टिस मदन भीमराव लोकुर गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्हें 4 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था।

4. जस्टिस कुरियन जोसेफ

30 नवंबर 1953 को जन्मे जस्टिस कुरियन जोसेफ दो बार केरल हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्हें 2013 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफजस्टिस बनाया गया था और फिर 8 मार्च 2013 को वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस जोसेफ कुरियन 30 नवंबर 2018 को सेवानिवृत्त होंगे।

■ न्यूज गैलरी

ईरानी तेल टैंकर विस्फोट जारी : शिंहुआ

बीजिंग (रायटर)। ईरानी तेल टैंकर सांची में लगी भयंकर आग और उसमें लगातार हो रहे विस्फोटों से आग बुझाने और लोगों को निकालने के प्रयासों में बाधा आ रही है। आग की तेज लपटों से जहाज के टूटने और उसके डूबने की आशंका भी बनी हुई है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंहुआ ने परिवहन मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी। इस जहाज में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास एक सप्ताह से जारी है।

सोमालिया और पुंटलैंड के बीच वार्ता से हो समाधान : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र (वार्ता)। संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया से सोमायलीलैंड और पुंटलैंड के विवाद को सेना की बजाय आपसी बातचीत के साथ हल करने का आह्वान किया है। सोमालिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि माइकल कीटिंग ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करके वार्ता को तेजी के साथ बढ़ाया जाए।

ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की रद्द

लंदन (रायटर)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की लंदन में दूतावास बदलने की नीतियों की आलोचना करते हुए यहां की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। श्री ट्रंप ने कल ट्वीट कर कहा, मुझे लंदन की अपनी यात्रा इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि मैं ओबामा प्रशासन का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। ओबामा प्रशासन ने 'मूंगफली' के दाम में लंदन स्थित पाँच इलाके के दूतावास को बेच दिया है।

CJI पर चार जजों के आरोपों से सरकार में भी मची हलचल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीफजस्टिस ऑफइंडिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए जाने के बाद न्यायालिका से लेकर सरकार तक में हलचल है। ऐसी खबरें हैं कि जजों के आरोपों और चिट्ठी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से फोन बात की है।

हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का मानना है कि उसे इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि यह शीर्ष अदालत का अंदरुनी मामला है और इसमें सरकार पक्ष नहीं है। वहीं, पूरे मामले को लेकर चीफजस्टिस दीपक मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से मुलाकात कर पूरे मामले पर चर्चा की है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा है कि मीडिया के समक्ष आने वाले 4 जजों ने अपना दर्द बयां किया है तो निश्चित तौर पर उन्हें पीड़ा होगी। स्वामी ने कहा कि जजों ने चीफजस्टिस पर सवाल उठाया है और उनके बीच विवाद है। इसलिए अब पीएम नरेंद्र मोदी को ही इस मामले में दखल देना चाहिए। स्वामी ने कहा कि मीडिया के समक्ष बात रखने वाले चारों जज बुद्धिजीवी हैं और उनकी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट विवाद : कांग्रेस बोली-देश में लोकतंत्र खतरे में है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों का CJI पर शुक्रवार को लगाए गंभीर आरोप को कांग्रेस ने लोकतंत्र को खतरे में होना बताया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है, '4 जजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप पर हम काफी चिंतित हैं।

' गौरतलब है कि आजादी के बाद देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। जजों ने आरोप लगाए कि देश कोर्ट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा रहा तो देश में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नंबर दो के जज माने जाने वाले जस्टिस चेलामेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'करीब दो महीने पहले हम 4 जजों ने चीफजस्टिस को पत्र लिखा और मुलाकात की। हमने उनसे बताया कि जो कुछ भी हो रहा है, वह सही नहीं है। प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। यह मामला एक केस के असाइनमेंट को लेकर था।' उन्होंने कहा कि हालांकि हम चीफ जस्टिस को अपनी बात समझाने में असफल रहे। इसलिए हमने राष्ट्र के समक्ष पूरी बात रखने का फैसला किया।

जज बी एच लोया मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली, (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने 2005 के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के 'ट्रायल' जज बी एच लोया की मौत के मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

महाराष्ट्र के पत्रकार बंधूराज संभाजी लोने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दिवंगत जज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी चाहती है। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने को कहा। न्यायालय ने कहा कि यह गम्भीर मामला है और इसकी सुनवाई बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं की जा सकती। न्यायालय ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 470 सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोहराबुद्दीन मामले की निचली अदालत में सुनवाई करने वाले पूर्व जज बी एच लोया की मौत की जांच की मांग की थी। यह पत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी भेजे गये हैं।

बार एसोसिएशन ने श्री लोया की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल से कराने की मांग की है। गौरतलब है कि अभी तक इस मामले को लेकर एक आपराधिक रिट याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में दाखिल की गई है, जबकि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।सोहराबुद्दीन शेख एवं उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या से संबंधित मामले को 2012 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। श्री लोया ने उस मामले की सुनवाई की थी। उनकी मौत नवम्बर 2014 में हो गयी थी।

पीएम मोदी बोले-योगीजी भी कम खिलाड़ी नहीं हैं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये युवा महोत्सव को संबोधित किया. स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद के कथनों से जोड़कर आज के समय में सीख लेने की प्रेरणा दी.

उन्होंने कहा, योगीजी भी कम खिलाड़ी नहीं हैं. कई राज्यों में बहुत लोगों के साथ हमारे योगीजी ट्विटर-ट्विटर का खेल खेल रहे हैं. और ट्विटर के खेल में भी अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने परास्त करके रख दिया है. 1. प्रधानमंत्री ने मॉक पार्लियामेंट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज से ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत हो रही है. नेशनल यूथ अवॉर्ड पाने वाले छात्रों और संस्थाओं की बधाई देता हूं. मोदी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि यहां अगले चार दिनों में बहुत से कार्यक्रम होंगे. नेशनल यूथ पार्लियामेंट का भी आयोजन किया जाएगा. मैंने इस बार 'मन की बात' करते हुए भी देश के हर जिले में मॉक पार्लियामेंट के आयोजन का विचार रखा था. यह उसी विचार की एक कड़ी की तरह है. 2. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महोत्सव की थीम 'संकल्प से सिद्धि' को भी समझाया. उन्होंने कहा कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है जिन्हें आजादी के दीवानों ने देखा था. जब हम उस सपने को देखेंगे और जियेंगे तो उसका संकल्प लेना भी आसान होगा. 3. नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत कैसा होगा, जब आप दिन भर के कार्यक्रम के बाद रात में अपने कमरे में सोने जायें तो यह जरूर सोचिएगा कि आपके आसपास क्या बदलना चाहिए. आपको महसूस होगा कि उसे जरूर बदलना चाहिए. आज जो आप संकल्प लेंगे वो ही सिद्ध होकर देश को भी अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए तैयार करेगा. आपकी इस यात्रा में सरकार भी, पूरा हिंदुस्तान भी हर तरह से आपके साथ है. 4. मैं चाहता हूं कि देश का नौजवान जॉब क्रिएटर बने. इनोवेटिव चीजें करने के लिए युवा आगे आएं, किताब में पढ़ना कि हवाई जहाज कैसे बनता है, उसकी बारीकियों को समझना, ये सब शिक्षा है।

गडकरी ने नौसेना का अपमान किया: कांग्रेस

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने है। छद्म राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी अब देश की सशस्त्र सेनाओं को बफादारी के प्रमाण पत्र जारी करना चाहती है।'' गौरतलब है कि श्री गडकरी ने दक्षिण मुंबई के केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नौसेना को दक्षिण मुम्बई में आवास के लिये ''एक इंच भी जमीन नहीं देने '' के बयान की निंदा करते हुए कहा कि श्री गडकरी ने ऐसा कहकर नौसेना का अपमान किया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज ट्वीट करते हुए कहा ''उनका इस तरह का बयान शर्मनाक और अस्वीकार्य है और ऐसा कहकर उन्होंने भारतीय नौसेना के पराक्रम और प्रतिबद्धता का अपमान किया और अड़चन पैदा करने को लेकर नौसेना को खूब खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि नौसेना के अधिकारियों को दक्षिण मुंबई में फ्लैट क्यों चाहिए। यहां एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि नौसेना को मलाबार हिल में रहने की क्या जरूरत है।